कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (छ.ग.)

प्रधान कार्यालय : अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर–492001
दूरभाष : 0771–2552221 फैक्स : 0771–2552210, वेब साइट : www.cgforests.com

क्रमांक/अनु.क्षेत्रवा/मु.का./निर्देश/23 रायपुर, दिनांक 12/03/2013

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वनमंडलाधिकारी,
छत्तीसगढ़

विषय– **वृक्षारोपण कार्यों का निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।**

—:0:—

वृक्षारोपण विभाग की अति महत्वपूर्ण गतिविधि है तथा इसमें विभाग के बजट का बड़ा हिस्सा व्यय होता है। विधान सभा एवं आम जनता में वृक्षारोपण की सफलता पर हर स्तर पर चर्चा की जाती है। किसी भी कारण से असफल वृक्षारोपण विभाग की छवि धूमिल करते हैं। यह पाया गया कि कई स्थानों पर कतिपय कारणों के फलस्वरूप रोपण असफल हो जाते हैं। कई वृक्षारोपण के संबंध में यह भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पूरे पौधे लगाये ही नहीं गये।

वृक्षारोपण के अनुश्रवण हेतु जो व्यवस्था वर्तमान में निर्धारित है उसके अंतर्गत एक वृत्त के वनाधिकारी दूसरे वृत्त के वृक्षारोपणों का 3 वर्ष बाद आंशिक निरीक्षण करते हैं तथा उसके अनुसार वृक्षारोपणों की सफलता एवं असफलता निर्धारित की जाती है। वृक्षारोपण का निरीक्षण समस्त स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है लेकिन किसी के द्वारा भी निरीक्षण के समय रोपित किये गये पौधों के सत्यापन के निर्देश नहीं हैं। अधिकांशतः निरीक्षणकर्ता अधिकारी केवल किसी एक छोटे खंड में रोपण का निरीक्षण कर रोपण की सफलता/असफलता के संबंध में टीप देते हैं, जो कि उचित नहीं है। वनमंडलाधिकारी एवं वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जब भी किसी रोपण का निरीक्षण करें तो वह सतही न होकर कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र का निरीक्षण होना चाहिये। उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान रोपित क्षेत्र का कम से कम 20–25% क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना चाहिये। इसके अलावा रोपणों में समय समय पर पौधों की गिनती कर जीवित पौधों का प्रतिशत का प्लांटेशन जनरल में उल्लेख करने के निर्देश हैं।

रोपणों के निरीक्षण की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपणों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार पद्यति निर्धारित की जाती है :

(1) रोपित पौधों की गणना :

(i) यदि रोपण लगातार न किया जाकर टुकड़ों में किया गया है तो रोपण के प्रत्येक ब्लाक का नामकरण कर उसमें पंक्तिवार रोपित पौधों की संख्या रोपण के तुरंत बाद गिनती की जाकर इसकी सूची प्लांटेशन जनरल में लगाई जाये। प्लांटेशन जनरल में प्रत्येक ब्लाक

o/c

में रोपित कुल पौधों की संख्या भी दर्शाई जाये। पंक्तिवार रोपित पौधों का विवरण प्लांटेशन जनरल का अभिन्न अंग होगा।

(ii) यदि रोपण में खण्ड न हो तथा वह लगातार किया गया है तो रोपण के एक सिरे से पंक्तिवार पौधों की शतप्रतिशत गिनती रोपण के उपरांत वन रक्षक द्वारा की जाकर वृक्षारोपण पंजी में दर्शाई जायेगी। सभी पंक्तियों का योग कर कुल रोपित पौधों की संख्या भी वृक्षारोपण पंजी में अंकित की जायेगी। पौधों की गिनती का रिकार्ड निम्न प्रपत्र में बनाया जायेगा।

रोपण का नाम	उप खंड कमांक (यदि आवश्यक समझा जाये)	पंक्ति कमांक	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4

वृक्षारोपण में पौधों की गिनती की जानकारी उपरोक्त प्रपत्र में तैयार कर उसकी एक प्रति वृक्षारोपण पंजी में, दूसरी प्रति परिक्षेत्र कार्यालय में तथा तीसरी प्रति वनमंडल कार्यालय में रिकार्ड हेतु भेजी जाये। रोपण की पंक्ति की संख्या हेतु खूंटी गाड़ी जायेंगी, जिसमें पंक्ति कमांक डाला जायेगा ।

(2) निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण में पौधों का सत्यापनः

(i) परिक्षेत्र सहायक रोपण के प्रथम वर्ष में रोपण उपरान्त 25 प्रतिशत रोपित पौधों का सत्यापन करेंगें। सत्यापन हेतु हर चौथी पंक्ति में पौधों की गिनती की जायेगी। उदाहरणतः रोपण खंड की पहली,5वी,9वी,13वी,17वीं 21वीं पंक्ति। पश्चातवर्ती निरीक्षणों में पूरे रोपण क्षेत्र का निरीक्षण कर 5 प्रतिशत पंक्तियों के पौधों की गिनती कर जीवित % अंकित किया जायेगा।

(ii) परिक्षेत्र अधिकारी रोपण के प्रथम वर्ष में रोपण के उपरान्त प्रथम निरीक्षण के समय रोपण के 10 प्रतिशत पौधों का सत्यापन करेंगें। जिसके लिये वे हर 10वीं पंक्ति में रोपित पौधों की गिनती कर रोपित पौधों की संख्या का सत्यापन करेंगें उदाहरणतः 2, 12वीं,22वीं,32वीं,52वीं पंक्ति पश्चातवर्ती निरीक्षण के दौरान 5 प्रतिशत पौधों का पंक्तिवार सत्यापन किया जायेगा।

(iii) उप वनमंडलाधिकारी रोपण के प्रथम निरीक्षण में 5 प्रतिशत पौधों का सत्यापन करेंगें जिसके लिये वे रोपण की हर 20वीं पंक्ति में लगे पौधों का का निरीक्षण करेंगें। उदाहरणतः 5वीं,25वीं,45वीं,65वीं,85वीं,पंक्ति आदि। पश्चातवर्ती निरीक्षणों में 2% पंक्तियों का निरीक्षण अनिवार्यतः किया जायेगा।

(iv) वनमंडलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान 2 प्रतिशत पौधों का सत्यापन किया जायेगा । यह सत्यापन पंक्तिवार होगा। वन संरक्षक एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा एक प्रतिशत पंक्तियों के पौधों की गिनती कर पौधों का जीवित प्रतिशत निकाला जायेगा।

(v) पौधों का सत्यापन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि अधिकारी द्वारा उन्हीं पंक्तियों का यथासंभव सत्यापन किया जाये जिसका कि अन्य किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है। भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन वृक्षारोपण पंजी/निरीक्षण टीप में दर्ज किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार जानकारी दर्शाई जायेगी।

प्रपत्र

उपखण्ड	पंक्ति क्रमांक	रिकार्ड के अनुसार रोपित पौधों की संख्या	निरीक्षण में पाये पौधों की संख्या		
			जीवित	मृत	योग
1	2	3	4	5	6

सत्यापन अधिकारी यदि रोपित पौधों की दर्शाई गई संख्या एवं निरीक्षण में पाई गई पौधों की संख्या में अंतर पाते हैं तो नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेजेंगें। उपरोक्त निर्देशों का पालन वर्ष 2013 के रोपणों में अनिवार्य रूप से किया जाये। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी डायरी एवं प्रवास टीप में भी इसका उल्लेख किया जायेगा।

(3) रोपण में पौधों का जीवितता प्रतिशत :

रोपण में 4 वर्षो तक प्रति वर्ष अक्टूबर एवं अप्रैल माह में रोपण में शत प्रतिशत पौधों की गिनती वनरक्षक द्वारा की जायेगी जिससे जीवितता का प्रतिशत निकाला जायेगा।

(4) रोपण की सफलता का मूल्यांकन :

यह कार्य मुख्यालय द्वारा नियंत्रित होगा। रोपण के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत रोपण की सफलता का मूल्यांकन क्षेत्र के निरीक्षण एवं 5 प्रतिशत पौधों की गिनती कर किया जायेगा। मूल्यांकन अक्टूबर – नवम्बर माह में होगा मूल्यांकन का कार्य वृत्त के बाहर के वनसंरक्षक, वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारियों एवं परिक्षेत्र अधिकारियों की टीम द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण का विवरण मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्रत्येक अधिकारी द्वारा 6 रोपणों में पौधों की गिनती एवं क्षेत्र निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जायेगा। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र 'अ' में निरीक्षण के प्रभारी वनसंरक्षक द्वारा सीधें मुख्य वनसंरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) को प्रेषित किया जायेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.कमांक/ अनुशासन/मु.का./निर्देश/ 24 रायपुर,दिनांकः– 12/03/2013

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ वन विभाग।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ वन विभाग
3. श्री जे.एस.म्हस्के,वन संरक्षक (समन्वय)।

छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रपत्र – अ

निरीक्षण हेतु चयनित निर्मित वृक्षारोपण/वनीकरण क्षेत्र से संबंधित पूर्ण विवरण

निरीक्षण कर्ता का नाम :..... निरीक्षण दिनांक : .....

पदनाम एवं पदस्थिति : .....

वृक्षारोपण क्षेत्र का निरीक्षण प्रतिवेदन

क्रमांक	वनमंडल का नाम	योजना / मद	रोपण वर्ष / रोपण दिनांक	परिक्षेत्र का नाम	कार्यवृत्त का नाम	रोपण स्थल एवं रोपण क्रमांक	वृक्षारोपण, कक्ष विवरण		वृक्षारोपण, क्षेत्र संबंधी विवरण			
							कक्ष क्रमांक	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जीपीएस कोऑर्डिनेट्स (न्यूनतम 4)	(*)सीबीओ क्षेत्रफल हेक्टेयर में	रोपण क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

रोपित मुख्य प्रजातियॉ	रोपित पौधों की संख्या, प्रजातिवार	औसत ऊंचाई	जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों का प्रतिशत	निरीक्षण प्रतिवेदन					
					निरीक्षित क्षेत्रफल	निरीक्षित क्षेत्र में कुल रोपित पौधों की संख्या	निरीक्षित क्षेत्र में जीवित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की औसत ऊंचाई	निरीक्षित क्षेत्र में जीवित पौधों का प्रतिशत	संक्षिप्त निरीक्षण परिणाम
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

नोट : (1) जीवित पौधों का पंक्ति वार विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट में इन्द्राज करें ।

(2) (*)यदि सीबीओ कार्य कराया गया हो तो विवरण दें ।

(हस्ताक्षर)

निरीक्षणकर्ता अधिकारी

प्रपत्र – अ का परिशिष्ट

निरीक्षण क्षेत्र का विस्तृत प्रतिवेदन

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम : ..... परिक्षेत्र का नाम : ..... कक्ष क्रमांक : ..... रोपित क्षेत्रफल : .....

कुल रोपित पंक्तियों की संख्या : .....

क्रमांक	रोपित पंक्ति क्रमांक	पंक्ति में रोपित कुल पौध संख्या	पंक्ति में जीवित पौध संख्या	जीवित पौधों की औसत ऊंचाई	जीवित पौधों का प्रतिशत	संक्षिप्त निरीक्षण परिणाम
1	2	3	4	5	6	7
योग				औसत ऊंचाई	औसत प्रतिशत	

(हस्ताक्षर)

निरीक्षणकर्ता अधिकारी